राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1555/2023

शांतिलाल खटीक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
3. डीसीएफ, प्रतापगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.06.2023
आदेश की दिनांक : 02.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री कमल कुमार माथुर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.06.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को रेंज अधिकारी ग्रेड प्रथम रेंज बांसी डीसीएफ प्रतापगढ़ में कार्य करने का आदेश फरमाया जावे एवं वेतन आदि सभी लाभ भी दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 08.06.2023 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख जयपुर में कार्यवाहक के रूप में संपादित करने हेतु किया गया है और दिनांक 08.06.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। उसका स्थानान्तरण राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के विपरीत जाकर स्थानान्तरण किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश जारी होने से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था क्योंकि स्थानान्तरण पर लगे प्रतिबंध के बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण परिपत्र

दिनांक 04.01.2023 के विपरीत जाकर किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। चूंकि अपीलार्थी राजस्थान शेड्यूल एरिया नियम, 2014 के अंतर्गत शेड्यूल एरिया में पदस्थापित है और उक्त नियम के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी को बिना कारण बताए आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए स्थानान्तरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.06.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को रेंज अधिकारी ग्रेड प्रथम रेंज बांसी डीसीएफ प्रतापगढ़ में कार्य करने का आदेश फरमाया जावे एवं वेतन आदि सभी लाभ भी दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 08.06.2023 प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं नियमानुसार जारी किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यों के भुगतान में अनियमितता करने, महिला आदिवासी वनपाल का शोषण करने आदि जैसे अत्यंत गंभीर आरोप विरचित कर सीसीए नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी करने के उपरांत विचाराधीन जांच में इनके पदस्थापन पद पर कार्यरत रहते हुए इनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर जांच व साक्ष्य को प्रभावित कर जांच के प्रदूषित होने की प्रबल आशंका होने के दृष्टिगत राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 23.07.2023 मय प्रदत्त निर्देशों की पालना में आगामी आदेशों तक वर्तमान फील्ड पोस्टिंग से हटाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य 2015(7) एससीसी 291 के पैरा संख्या 14 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जिनके विरूद्ध गंभीर आरोपों में विभागीय जांच विचाराधीन है, को अन्य स्थान पर पदस्थापित कर सकते हैं। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियम एवं विधि अनुसार ही किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जांच नियम सीसीए 16 के तहत प्रारंभ की गई है और चार्जशीट भी उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2023 के द्वारा जारी की गई है, जो सक्षम अधिकारी नहीं है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5628/2023 चुनौती दी

गई है। अपीलार्थी को बिना कारण बताए आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं रखा जा सकता, फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने नियम विरूद्ध जाकर आलोच्य आदेश जारी किया है जो विधि के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने उल जवाब का जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी का पद अधीनस्थ सेवा नियम के अंतर्गत आता है तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित है। इसलिए राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अनुसार अपीलार्थी का विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि नियोक्ता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही कार्यरत रहने के क्रम में विकल्प पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किए जाने पर भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार अपीलार्थी की राजकीय सेवा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अंतर्गत नहीं आती है। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका की प्रति भी अधिकरण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर रेंज बांसी कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ में कार्यरत है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 08.06.2023 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख जयपुर में कार्यवाहक के रूप में संपादित करने हेतु किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के विपरीत जाकर किए जाने का प्रश्न है, चूंकि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यों के भुगतान में अनियमितता करने, महिला आदिवासी वनपाल का शोषण करने आदि जैसे अत्यंत गंभीर आरोप होने के कारण सीसीए नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया है एवं विचाराधीन जांच में अपीलार्थी के पद पर रहते हुए इनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर जांच व साक्ष्य को प्रभावित करनें की आशंका होने के दृष्टिगत एवं परिपत्र दिनांक 23.07.2023 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में आगामी आदेशों तक कार्यवाहक के रूप में संपादन हेतु आदेशित किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ

इण्डिया व अन्य 2015(7) एससीसी 291 के पैरा संख्या 14 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> *"The Government is free to transfer the concerned person to any Department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence."*

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्ध गंभीर आरोपों में विभागीय जांच विचाराधीन है, को अन्य स्थान पर पदस्थापित कर सकते हैं, जिससे वह कार्मिक अपने पद का दुरूपयोग कर साक्ष्य व जांच को प्रभावित न कर सके। इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.06.2023 का प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य